



षोडश

बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 05 अग्रहायण, 1941 (श०)
26 नवम्बर, 2019 (इ०)

प्रश्नों की कुल संख्या 100

(1) शिक्षा विभाग	..	55
(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	..	04
(3) कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	..	13
(4) समाज कल्याण विभाग	..	06
(5) परिवहन विभाग	..	09
(6) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	..	04
(7) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	..	01
(8) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	01
(9) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	..	06
(10) खान एवं भूतत्व विभाग	..	01

कुल योग -- 100

आधारभूत संरचना का निर्माण

*72. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 10+2 विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं होने से छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड में सहदेव उच्च विद्यालय, सुगी एवं शेरघाटी प्रखंड के प्रोजेक्ट कन्या +2 उच्च विद्यालय में छात्र-छात्राओं की संख्या अधिक है परंतु आधारभूत संरचना के निर्माण नहीं होने से शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में स्थापित उच्च विद्यालयों सहित खंड (2) में वर्णित +2 उच्च विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक भवन का निर्माण

*73. श्रीमती सावित्री देवी--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के पराची पंचायत में महादलित गाँव पराची एवं माधोपुर पंचायत के महादलित गाँव हिरणाटाड़ में महादलित विकास मिशन योजना अन्तर्गत सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड के निर्माण हेतु निविदा कार्य सम्पन्न हुये एक वर्ष बीत जाने के बावजूद उक्त गाँवों में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँवों में सामुदायिक भवन-सह-वर्क शोड का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोखर का सौंदर्यीकरण करना

*74. श्री आलोक कुमार मेहला--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अन्तर्गत चाँद चौर मध्य पंचायत के चपता ग्राम के पूर्वी छोर पर बाबु पोखर एवं चाँद चौर, शंकर चौक, एन0 एच0 28 के निकट दैता पोखर है जो लगभग 10-10 एकड़ में फैला हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पोखर का सौंदर्यीकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*75. श्री सरोज यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना), भोजपुर के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में गलत प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक LP-85, दिनांक 14 जनवरी, 2019 द्वारा उनके विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार को अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का जीर्णोद्धार

*76. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड में स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय, गोरौल में वर्ष 1994 में निर्मित अनुसूचित छात्रावास के पाँच कमरों की स्थिति काफी जर्जर है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त छात्रावास का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*77. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत चार्ड नं० 33 में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय, बरेहपुरा एवं चार्ड नं० 7 में स्थित उर्दू मध्य विद्यालय, हसनाबाद की भवन निर्माण की योजना की स्वीकृति 3 वर्ष पूर्व मिली थी लेकिन उक्त उर्दू विद्यालयों का भवन का निर्माण नहीं हुआ है जिसके कारण उर्दू छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पथ निर्माण करना

*78. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा एवं रोहतास प्रखंड के बुधुआ, रेहल सहित सैंकड़ों गाँव पहाड़ी के ऊपर हजारों साल से अवस्थित है जहाँ जाने का कोई पहुँच पथ नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि वन विभाग द्वारा न पहुँच पथ बनाया जा रहा है न ही दूसरे विभाग से बनाने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जा रहा है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपने विभाग द्वारा पहाड़ी पर बसे सभी गाँवों में पथ निर्माण कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पोषाहार हेतु कम राशि देना

*79. श्री (मे०) नेमतुल्लाह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी आँगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार हेतु 21,000 (एककोस हजार) रुपये प्रतिमाह मात्र देने का प्रावधान है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला में बरौली प्रखंड में स्थित सभी केंद्रों को संचालन हेतु 21,000 रुपये की जगह मात्र 16,900 (सोलह हजार नौ सौ) रुपये आवंटित की जा रही है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो खंड (2) में वर्णित केंद्रों पर कम राशि देने का क्या औचित्य है ?

उच्च विद्यालय में उत्कर्मित करना

*80. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कटिहार सदर प्रखण्ड के दलन पूरब पंचायत एवं सहनगंज प्रखंड के कालसर पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं रहने के छत्र एवं छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में स्थित एक-एक मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्कर्मित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन एवं चहारदीवारी निर्माण करना

*81. श्रीमती कुंती देवी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी ग्राम के नीमचक स्थित गुलाबचन्द उच्च विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन एवं चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*82. श्री महबूब आलम—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड अन्तर्गत शिवानन्दपुर पंचायत के शिवानन्दपुर गाँव का टोला बागराय जिसकी आबादी 100 परिवारों से ज्यादा है वह महानंदा नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है और अपने मूल गाँव से कटा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को पठन-पाठन के लिए दूसरे पंचायतों के प्राथमिक विद्यालय जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त टोला में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संग्रहालय का निर्माण प्रारंभ करना

*83. श्री चन्द्रसेन प्रसाद—क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के एकंगरसराय प्रखंड के पंचायत तेलहाड़ा में खनन परिषद् के बगल में संग्रहालय के निर्माण की स्वीकृति विभाग द्वारा वर्ष 2018 में दी गयी है, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

+2 की पढ़ाई

*84. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत पटेढ़ी बेलसर प्रखंड में स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय साईन को वर्ष 2008-09 में +2 का दर्जा मिल गया है, परन्तु पढ़ाई अबतक शुरू नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में +2 की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन कराना

*85. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के छौड़ादानों प्रखंड अन्तर्गत गमहिया चौक से भवानीपुर, बधुवहिया, नरवल, जितपुर, खैरवा, बेला, लखौरा होते हुए मोतिहारी तक सरकारी बस का परिचालन नहीं किये जाने के कारण निजी बस मालिकों द्वारा ग्रामीण जनता से अधिक भाड़ा वसूल की जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्गों पर सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री कॉलेज खोलना

*86. श्री कमरूल होदा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं रहने से छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पोठिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*87. श्री जफर आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सलखुआ प्रखंड स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सलखुआ एवं महंत मिट्टुदास इंटर उच्च विद्यालय, सलखुआ में गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, इतिहास, भूगोल, उर्दू सहित अन्य विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों में उक्त विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्धारित कैलेंडर को लागू कराना

*88. श्री सुबाष सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिये कुलाधिपति द्वारा कार्यदिवस का कैलेंडर निर्धारित किया जाता है, परन्तु नालंदा खुला विश्वविद्यालय, पटना द्वारा कुलाधिपति के निर्धारित कैलेंडर को मान्यता नहीं देकर बिहार सरकार के मुफस्सिल कार्यालय के लिये निर्धारित कैलेंडर को अपनाया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार नालंदा खुला विश्वविद्यालय में भी अन्य विश्वविद्यालयों के लिये निर्धारित कैलेंडर को लागू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करना

*89. डॉ० रामानन्द यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत फतुहा प्रखंड के पंचायत मोमिन्दपुर के ग्राम-बुद्धचक्र स्थित हाई स्कूल एवं पंचायत कोल्हूर के ग्राम-कोल्हूर स्थित हाई स्कूल में निदेशक, मा० शि०-शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक 1620, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 के द्वारा नामांकन हेतु आदेश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि निदेशक, मा० शि०, शिक्षा विभाग के आदेश के बावजूद भी प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त हाई स्कूल में अभी तक एक भी नामांकन नहीं लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त हाई स्कूल में नामांकन नहीं लेने वाले प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

राशि का वितरण

*90. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड अन्तर्गत उच्च विद्यालय, नारेपुर के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि 2017 से 2019 तक तथा साइकिल एवं पोशाक की राशि का वितरण 2019 में नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त योजना की राशि का लाभ छात्र-छात्राओं को देने एवं राशि का वितरण नहीं करने वाले दोषी पदाधिकारी पर कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

*91. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्व-त्योहारों पर लोकगीत को बढ़ावा देने के लिये सभी जिलों को राशि मुहैया कराया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलों को उपलब्ध करायी गयी राशि से प्रशासन द्वारा इस बार के छठ पर्व के अवसर पर जहानाबाद के एक विद्यालय एवं कैमूर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील नृत्य करवाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील नृत्य कराने के लिये दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोधियों पर कार्रवाई

*92. श्री विजय कुमार मंडल--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विस्की प्रखंड के ग्राम+पंचायत-सिंघासों में फर्जी प्रमाण-पत्र पर वर्ष 2018 में सेविका के पद पर चयनित अभ्यर्थी पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 949, दिनांक 2 अगस्त, 2019 द्वारा प्राथमिक दर्ज कराने का आदेश दिया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक फर्जी प्रमाण-पत्र पर चयनित करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पंचायत सेवक पर कार्रवाई

*93. श्री प्रह्लाद यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के अलीनगर पंचायत में दिनांक 10 अप्रैल, 2017 को तत्कालीन पंचायत सेवक द्वारा फर्जी तरीके से पाँच शिक्षक का नियोजन किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त फर्जी नियोजन की सूचना लिखित रूप में वर्ष 2017 में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं प्रा० शिक्षा निदेशक को दी गयी थी, परन्तु उक्त संबंध में कोई कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियोजित फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने एवं दोषी पंचायत सेवक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण कराना

*94. श्री आलोक कुमार मोहता--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समरतीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत महन्थ अवध बिहारी रघुनाथ झा उच्च विद्यालय, बहदुरा में स्टेडियम निर्माण हेतु खेल का मैदान उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय स्थित खेल मैदान में कबतक स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*95. श्री राम विलारा पासवान--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत पौरपैती प्रखंड में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास नहीं है, जिस कारण गरीब छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पौरपैती प्रखंड में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनः सेवा में बहाल करना

*96. श्री अनिल कुमार यादव--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिले में से मात्र 6 जिला में खनिज विकास पदाधिकारी कार्यरत हैं एवं शेष जिला में पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 32 जिला में सहकारिता प्रसार पदाधिकारी की सेवा अन्य विभाग से प्राप्त कर खान निरीक्षक के रूप में कार्य लिया जा रहा है वह नन-टेक्निकल है तथा इनकी योग्यता एम०सी०डी०आर० एक्ट, 1988 के अनुसार खान निरीक्षक पद के लिये मान्य नहीं है ;

(3) क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प सं० 2401, दिनांक 18 नवम्बर, 2017 को एम०सी०डी०आर० एक्ट, 1988 में उल्लेखित योग्यता वाले 14 अभ्यर्थियों को सविदा पर खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हुयी थी, जिन्हें पत्रांक 3960, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 से सेवा से मुक्त कर दिया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (3) में वर्णित उक्त पदाधिकारी जो सौविदा से मुक्त किये गये हैं, उन्हें पुनः सेवा में बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शुल्क पर रोक लगाना

*97. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह--क्या मंत्री, पर्वारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना स्थित इको पार्क, राजधानी चाटिका, वीर कुंवर सिंह पार्क में आम जनता सुबह में टहलकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, जिनसे 04 नवम्बर, 2019 से शुल्क वसूलने का प्रावधान कर दिया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

स्पोर्ट्स एक्सेलेंस सेन्टर की स्थापना

*98. श्री विजय कुमार खेमका--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि खेल को उन्नत एवं विकसित करने के लिये सभी प्रमंडल मुख्यालय में स्पोर्ट्स एक्सेलेंस सेन्टर खोलने की राज्य सरकार की योजना अंतर्गत पूर्णियाँ प्रमंडल मुख्यालय में स्पोर्ट्स एक्सेलेंस सेन्टर की स्थापना नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक पूर्णियाँ प्रमंडल मुख्यालय में स्पोर्ट्स एक्सेलेंस सेन्टर स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का उपबन्ध कराना

*99. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में छठ पर्व के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में एक स्थान पर भगवान भास्कर महोत्सव के आयोजन हेतु 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था, परन्तु राशि की कमी के कारण आयोजन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, यदि हाँ, तो वर्ष 2020 से उक्त राशि की सीमा बढ़ाने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

व्यवस्था करना

*100. श्री सचीन्द प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर निरीक्षक उत्पाद का पद स्वीकृत है, लेकिन कार्यालय, आवास, वाहन एवं पुलिस बल की व्यवस्था नहीं होने से कोई भी पदाधिकारी अनुमंडल में नहीं रहता है, जिससे शराबबंदी से संबंधित कार्य प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अनुमंडल स्तर पर पदस्थापित निरीक्षकों के लिये कार्यालय, आवास, वाहन एवं पुलिस बल की पूर्णतः व्यवस्था कर शराबबंदी को सफल बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक । राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू होने के बाद राज्य के प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर निरीक्षक मद्यनिषेध का पद स्वीकृत है। निरीक्षक मद्यनिषेध के पदस्थापन जिला में किया जाता है तथा समाहर्ता द्वारा निरीक्षक मद्यनिषेध को अनुमंडल का कार्यक्षेत्र आवंटित किया जाता है। निरीक्षक मद्यनिषेध को सुविधानुसार सरकारी आवास स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा आवास उपलब्ध नहीं रहने पर आवास भत्ता का भुगतान किया जाता है। निरीक्षक मद्यनिषेध के अधीन अंचल अवर निरीक्षक मा०नि०, सहायक अवर निरीक्षक मा०नि० एवं मद्यनिषेध सिपाही कार्य करते हैं, जहाँ वे लगातार छापेमारी एवं गश्ती आदि कार्यों का सम्पादन करते हैं। छापेमारी एवं गश्ती कार्य हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाता है ।

कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र खोलना

*101. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला में एकलव्य राज्य आवासीय कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिले के पहलवान एशिया चैम्पियनशीप मई, 2017 में थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय कोच के रूप में प्रतिनिधित्व करके भारतीय टीम में सात मेडल पाये थे एवं इस जिला में सैकड़ों पहलवान आज भी कुश्ती करते हैं जिन्हें सरकार द्वारा कोई सुविधा देय नहीं है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय में एकलव्य राज्य आवासीय कुश्ती प्रशिक्षण केंद्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

*102. डॉ० रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर प्रखण्ड के परमानन्दपुर पंचायत स्थित राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, मूरथान उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की सभी अर्हता पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

*103. श्री मिथिलेश तिवारी--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिले के सिधवलिया प्रखंड अन्तर्गत हुमरिया ग्राम में मध्य युगीनकाल में निर्मित भगवान शिव के मंदिर के पुनरुद्धार हेतु पुरातत्व निदेशालय द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 2018 को ही जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राक्कलन की माँग की गयी थी, जो अबतक अप्राप्त है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रतिवर्ष कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन हुमरिया शिव मंदिर और हुमरिया घाट पर विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों की संख्या में पर्यटक/श्रद्धालु नारायणी नदी में स्नान और शिव मंदिर में पूजा करने आते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हुमरिया घाट एवं हुमरिया शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नारायणी महोत्सव और नारायणी आरती का आयोजन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नैक ग्रेडिंग के संबंध में

*104. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि स्टूडेंट क्रेडिट कर्नल योजना के तहत नैक ग्रेड प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही लाभ मिलता है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में ट्रेनिंग कॉलेजों सहित कुल 700 कॉलेज हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि देश में 5,392 कॉलेजों को नैक मान्यता प्राप्त है जबकि राज्य में मात्र 129 कॉलेजों को ही नैक ग्रेड प्राप्त है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के सभी 700 कॉलेजों को नैक ग्रेडिंग मिले इसके लिये कौन-सी कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्कृष्ट कराना

*105. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के बीरपुर प्रखंड के बीरपुर पंचायत स्थित कन्या मध्य विद्यालय का उत्कृष्ट उच्च विद्यालय में नहीं किये जाने के कारण प्रखंड की लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा के लिये परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कन्या मध्य विद्यालय, बीरपुर को उच्च विद्यालय में उत्कृष्ट करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पोलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना

*106. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखंड में पोलिटेक्निक कॉलेज नहीं रहने से सीमावर्ती राज्य झारखंड में छात्र-छात्राएँ नामांकन कराते हैं, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त प्रखंड में पोलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*107. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड में सनुहरण उच्च विद्यालय, दुर्गावती में खेल का मैदान उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालय स्थित खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय स्थापित करना

*108. श्री रविन्द्र सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिलान्तर्गत कलेर प्रखंड के ग्राम-ओझा बिगहा एवं करपी प्रखंड के ग्राम- मुडला बिगहा में भूमि उपलब्धता के बावजूद प्राथमिक विद्यालय का निर्माण नहीं होने के कारण वहाँ के बच्चे एवं बच्चियों को 1 कि० मी० दूर स्थापित विद्यालयों में पठन-पाठन करने हेतु जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण करना

*109. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड कोचस के ग्राम-पुरहरा एवं बेदवलिया में महादलित शेड एवं सामुदायिक भवन का निर्माण हेतु ग्राम-पुरहरा में खाता संख्या 109, प्लॉट संख्या 110, रकबा 3 डी० एवं ग्राम-बेदवलिया में खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 239, रकबा 4 डी० सरकारी भूमि उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त गाँवों में महादलित शेड एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*110. श्रीमती कुन्ती देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड नीमचक बथानी के ग्राम-बथानी में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन और चहारदीवारी नहीं रहने के कारण बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त उच्च विद्यालय का भवन और चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

*111. श्री सचोन्द्र प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखण्ड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, रामजी टोला का उत्क्रमण वर्ष 2014 में हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होने से पठन-पाठन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति कर छात्र हित में शिक्षण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण पूर्ण करना

*112. श्रीमती अरूणा देवी—क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड के बी०के० साहु इंटर विद्यालय में स्टेडियम का निर्माण कार्य 5 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जो अबतक अपूर्ण है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना

*113. श्रीमती अमिता भूषण—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के कैथ पंचायत अंतर्गत मध्य विद्यालय, कैथ उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु सभी अर्हताओं को पूरा करने के बावजूद भी इस विद्यालय को उत्क्रमित नहीं किया गया है, जिसके कारण इस पंचायत के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों को सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार मध्य विद्यालय, कैथ को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का जीर्णोद्धार करना

*114. श्री मेवालाल चौधरी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड के रामानंद परसीराम उच्च विद्यालय, असरगंज का भवन जर्जर होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*115. श्रीमती अरूणा देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के चारिसलीगंज प्रखंड के अपसड़ गाँव में एक वितरहित उच्च विद्यालय संचालित है, परन्तु उक्त पंचायत में इंटरमीडिएट की पढ़ाई हेतु कोई विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण पूर्ण कराना

*116. श्री चंद्रशेखर--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत धैलाढ़ प्रखंड के चिकनोटवा ग्राम में स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन का निर्माण कार्य विगत 8 (आठ) वर्षों से अधूरा है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*117. श्री शकील अहमद खॉं--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखण्ड के सागरथ पंचायत के बसंतपुर, संधाली टोला में 5 कि०मी० के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है एवं उक्त टोला की आबादी 2,000 से अधिक है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त टोला में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*118. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत कुर्सला प्रखण्ड के कुर्सला से पोठिया होते हुये डुमर से कटिहार जिला मुख्यालय तक सरकारी बस का परिचालन दो वर्षों से नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त स्थानों के लिये पुनः सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाना

*119. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी अनुमण्डल की आबादी लगभग 16 लाख है, जिसमें एस0 एम0 एस0 जी0 एक मात्र डिग्री महाविद्यालय है;

(2) क्या यह बात सही है कि शेरघाटी अनुमण्डल के सभी निजी महाविद्यालयों के सम्बद्धता समाप्त होने के कारण छात्रों को नामांकन में काफी कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के अन्य महाविद्यालयों सहित एस0 एम0 एस0 जी0 कॉलेज, शेरघाटी में नामांकन हेतु सीटों की संख्या बढ़ाने तथा उक्त महाविद्यालयों में पी0 जी0 की पढ़ाई शुरू कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना

*120. श्री राघव शरण पाण्डेय—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला स्थित बगहा नगर परिषद् के वार्ड सं0 15 से वार्ड सं0 35 तक में औगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक बगहा नगर परिषद् के वार्ड सं0 15 से वार्ड सं0 35 तक में औगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*121. श्री तारकिशोर प्रसाद—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला अन्तर्गत हसनगंज प्रखंड के कालसर पंचायत अन्तर्गत कालसर गाँव में स्थित बेसिक विद्यालय का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त बेसिक विद्यालय में चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वायु प्रदूषण नियंत्रित करना

*122. श्री सदानन्द सिंह—क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के कहलगाँव में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के चिमनियों से अधिक कोयला का धुआँ और कण के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण मानक से अधिक हो गया है, जिसके संबंध में विगत 2 वर्ष से जिलाधिकारी, भागलपुर को सूचित करने के बाद भी वायु प्रदूषण रोकने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की दिशा में कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय की स्थापना

*123. श्री बशिष्ठ सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड करगहर पंचायत, सिवन में सरकारी उच्च विद्यालय नहीं होने के कारण यहाँ के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त करने हेतु 8 से 10 कि० मी० दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पंचायत में उच्च विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण करना

*124. श्री अमीत कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुपौी प्रखंड के बहनागामा हाई स्कूल का चहारदीवारी के निर्माण नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त हाई स्कूल का चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ करना

*125. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंड में स्थित ग्राम-भारती महाविद्यालय, रामगढ़ में स्नातकोत्तर की पढ़ाई नहीं होने से छात्र-छात्राओं को राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश 100 कि० मी० दूर जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक ग्राम-भारती महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशि का भुगतान करना

*126. श्री संजय सखवगी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईयों के मृत्यु हो जाने पर 4 लाख की राशि का मुआवजा देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा सदर प्रखंड अन्तर्गत शीशो पूर्वी पंचायत की शैलो देवी, शीशो पश्चिमी पंचायत की मीना देवी एवं सुनीता देवी समेत दरभंगा जिले के 21 मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोईयों की मृत्यु हुए छः माह से ज्यादा हो गया है लेकिन मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकार्यमक हैं, तो सरकार कबतक खण्ड (2) में वर्णित मृतक रसोईयों को 4 लाख की मुआवजे की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण करना

*127. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने वर्ष 2008-09 में निर्णय लिया है कि राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण करना

*128. श्री राजेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के हरसिद्धि प्रखंड के पंचायत मानिकपुर स्थित नव-सृजित विद्यालय, मानिकपुर के निर्माण हेतु श्री शिवनन्दन राय, पिता- स्व० बंगाली राय, ग्राम-मानिकपुर द्वारा खाता सं० 58, खेसरा 313, रकबा 2 कट्ठा 10 धूर दान देने हेतु जिला प्रशासन से वर्ष 2013 में अनुमति की माँग की गयी थी, परन्तु जिला प्रशासन, पूर्वी चम्पारण द्वारा अबतक अनुमति नहीं दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को 2 कि० मी० दूर बुनियादी विद्यालय से सम्बद्ध कर देने से मानिकपुर के बच्चे को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक खंड (1) में उपलब्ध भूमि पर विद्यालय का निर्माण करने एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देने वाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उच्च विद्यालय में उत्कर्मित करना

*129. श्री राजेश कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत कुटुम्बा प्रखंड के महाराजगंज पंचायत स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय, हनेया एवं जगदीशपुर पंचायत स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय, रसूलपुर संचालित है, जिसके 7 कि० मी० के परिधि में कोई भी उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो रही हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्कर्मित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*130. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसंड प्रखंड स्थित उत्कर्मित उच्च विद्यालय, हुमरा का भवन निर्माण का कार्य वर्ष 2013-14 में शुरू किया गया परन्तु निर्माण कार्य अबतक अधूरा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति

*131. श्री जफर आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, सिमरी में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, उर्दू विषयों के शिक्षक प्रतिनियुक्त नहीं हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में उक्त विषयों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*132. श्री शकील अहमद खॉं--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जामिया उर्दू, अलीगढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवमाननावाद सं० 297/2007 में पारित आदेश के आलोक में बिहार में शिक्षकों के 34,540 कोटि में अभ्यर्थी का चयन वर्ष 2012 में किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012 में जमुई जिला में उक्त प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का चयन किया गया है जिसमें मई, 2019 में 45 शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को हटाने का क्या औचित्य है ?

भवन का जीर्णोद्धार

*133. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित द्वालख पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, जानकौनगर मुसहरी का भवन जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण पठन-पाठन बाधित है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय का भवन का जीर्णोद्धार कर पठन-पाठन का कार्य शुरू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन करना

*134. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड अन्तर्गत बनकटवा, पकही, वृती बाजार, गोदिया, फुलवार, लखौरा होते हुये मोतिहारी तक सरकारी बस का परिचालन नहीं होने के कारण निजी बस मालिकों द्वारा आम जनता से मनमाने तरीके से भाड़ा चसूली की जाती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त मार्गों पर सरकारी बस का परिचालन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

10+2 में उत्क्रमण करना

*135. श्री रामबालक सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर विधान-सभा क्षेत्र के विभूतिपुर प्रखण्ड के श्री धाना सिंह कुशवाहा बालिका उच्च विद्यालय, सिंघिया घाट एवं उ० विद्यालय, सरसौना 10+2 में उत्क्रमण हेतु सभी अर्हता रखता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालयों में बेंच-डेस्क उपलब्ध कराना

*136. श्री अचमित ऋषिदेव—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय भूमि, ऋषिदेव टोला कोशिकापुर एवं नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रायटोला मलिनिया में कक्षा 1 से 5 तक नामांकित बच्चों के बैठने के लिये बेंच-डेस्क उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को बैठने के लिये बेंच-डेस्क उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन की व्यवस्था

*137. श्री सुदामा प्रसाद—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के तरारी विधान-सभा के महार प्रखंड के अमहरूआ पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं रहने से वहाँ के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक अमहरूआ में अवस्थित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का नाम बदलना

*138. श्री सुबोध राय—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुंड प्रखण्ड के भूलनी पंचायत के चकनारायणपुर महादलित ग्राम में स्थित विद्यालय का नाम "मध्य विद्यालय चकचमारौ" अंकित है जो जाति सूचक है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के नाम में अंकित "चकचमारौ" शब्द हटाकर उसकी जगह अन्य नाम करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बस परिचालन शुरू करना

*139. श्री रविन्द्र सिंह—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखण्ड के बेलखारा से अरवल होते हुये पटना तक सरकारी बस का परिचालन की स्वीकृति 10 वर्ष पूर्व मिली थी, परन्तु अभीतक सरकारी बस का परिचालन शुरू नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक, उक्त मार्ग पर बस का परिचालन शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

संग्रहालय की स्थापना

*140. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीमांचल क्षेत्र के धरोहर को संरक्षित करने के लिये पूर्णियाँ जिला में संग्रहालय की स्थापना नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक सीमांचल क्षेत्र के धरोहर को संरक्षित करने के लिये पूर्णियाँ जिला में आधुनिक संग्रहालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस डिपो का जीर्णोद्धार

*141. श्री अजीत शर्मा—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में स्थित तिलकामांझी बस डिपो 15 वर्षों से जर्जर रहने के कारण भागलपुर में बसों का परिचालन कम हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक तिलकामांझी बस डिपो का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पारिवारिक बंटवारा करना

*142. श्री फ़ैसल रहमान—क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पारिवारिक बंटवारा किया जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के निबंधन विभाग द्वारा पारिवारिक बंटवारे से पहले वंशावली की माँग की जा रही है, परन्तु अंचलाधिकारी द्वारा वंशावली नहीं बनाकर पारिवारिक सूची बनाया जा रहा है, उक्त पारिवारिक सूची को निबंधन विभाग द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची पर पारिवारिक बंटवारा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन भुगतान करना

*143. श्री मेवालाल चौधरी—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित असरगंज, तारापुर, संग्रामपुर, खड़गपुर एवं टेटियाबम्बर प्रखंडों में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल-10746 आवेदकों ने आवेदन किया, परन्तु अभी तक 5079 आवेदकों का आवेदन पेंशन स्वीकृति हेतु लॉबित है, जिससे उन गरीब वृद्धजनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक सभी लॉबित आवेदकों को पेंशन भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*144. श्री कमरूल होदा—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के प्रखंड मुख्यालय पोठिया से जिला मुख्यालय किशनगंज तक वाया-खजूरवाड़ी, रतवा हाट, दामलवाड़ी हाट, सिंधिया हाट, बेलवा हाट के बीच 10 वर्षों से बस का परिचालन नहीं होने के कारण पोठिया प्रखंड वासियों को जिला मुख्यालय किशनगंज आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक प्रखंड मुख्यालय पोठिया से जिला मुख्यालय किशनगंज के बीच सरकारी बस के परिचालन का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनियमितता की जाँच

'क'-*145. डॉ० सी० एन० गुप्ता—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "डी० आर० सी० सी० ऑफिस में भरा पानी" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के छपरा जंक्शन के उत्तर दिशा में स्थित गढ़हे में निबंधन-सह-परामर्श केंद्र भवन का निर्माण दो वर्ष पूर्व 8 करोड़ रुपये की लागत से एवं चहारदीवारी का निर्माण आठ माह पूर्व 2 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन एवं चहारदीवारी की नींव ऊँचा नहीं होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने एवं बरसात के कारण "डी० आर० सी० सी० केंद्र निबंधन-सह-परामर्श केंद्र" में जल जमाव की स्थिति है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर त्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक उक्त डी० आर० सी० सी० केंद्र के निर्माण में हुई अनियमितता की जाँच कराते हुये जल-जमाव से मुक्ति हेतु कारगर कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रजिस्ट्री सुनिश्चित करना

*146. श्री मोहम्मद नवाज आलाम—क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में निबंधन कार्यालय द्वारा 100 रुपये की आपसी बंटवारा रजिस्ट्री नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक भोजपुर जिला में 100 रुपये में जमीन की आपसी बंटवारा रजिस्ट्री सुनिश्चित करने एवं उक्त रजिस्ट्री को नहीं करने वाले शोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट—'क'-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पत्रांक 4225, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 द्वारा योजना एवं विकास विभाग में स्थानान्तरित ।

स्टेडियम निर्माण कराना

*147. श्री महबूब आलम—क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के लुगुआ दास ग्राम पंचायत में स्थित लुगुआ उच्च विद्यालय का क्रीड़ा मैदान स्टेडियम निर्माण की अर्हता को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के क्रीड़ा मैदान में स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पार्क निर्माण कराना

*148. श्री प्रकाश वीर—क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम के वार्ड सं०-14, 15, एवं 16 में एक भी पार्क नहीं रहने से उक्त वार्ड की आम जनता स्वास्थ्य लाभ लेने से वंचित हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त तीनों वार्डों के मध्य कच्ची तालाब के पास सरकारी भूमि उपलब्ध है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक कच्ची तालाब के पास पार्क बनवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्थानांतरण करना

*149. डॉ० रामानुज प्रसाद—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार मध्याह्न भोजन योजना समिति बिहार, पटना अंतर्गत कार्यरत ए०पी०सी० (सहायक कार्यक्रम प्रबंधक), जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला समन्वयक, लेखापाल-सह-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, विगत 7 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, जबकि नियमानुसार 3 वर्षों में ही स्थानांतरण का प्रावधान है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई

*150. श्री रामदेव राय—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखण्ड के मोखियारपुर पंचायत के ग्राम विशनपुर में निर्मित आँगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं किये जाने के विरुद्ध जन शिकायत पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा जाँच किये जाने के बाद जाँच प्रतिवेदन पत्रांक 5216, दिनांक 1 सितम्बर, 2014 द्वारा जिलाधिकारी, बेगूसराय को समर्पित किया गया, जिसमें मानक के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने का उल्लेख है, यदि हाँ, तो, सरकार कबतक उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

*151. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा प्रखंड के रंगपुर दक्षिण पंचायत के सितिया आदिवासी टोला तथा बिशुनपुर पंचायत के सिकराहा आदिवासी टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार

*152. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत जोगवनी के मध्य विद्यालय, खजुरबाड़ी बरसात के दिनों में तीन माह विद्यालय परिसर एवं भवन पूरी तरह पानी से भरा रहता है, जिस कारण स्कूल बंद रहने से छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक विद्यालय भवन एवं परिसर का जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण

*153. डॉ० अब्दुल गफ़र--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत उच्च विद्यालय, पंचगछिया में वर्गकक्ष के अभाव में छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में अतिरिक्त वर्गकक्ष का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरे एवं चहारदीवारी का निर्माण

*154. श्री सत्यदेव सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड के ग्राम-रोहाई स्थित +2 राजकीय उच्च विद्यालय, रोहाई में पाँच सौ छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन हेतु मात्र दो ही कमरे उपलब्ध हैं, साथ ही उक्त विद्यालय में चहारदीवारी का भी निर्माण नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में छात्र-छात्राओं के अनुपात में कमरे एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मार्ग बदलना

*155. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिले के फारबिसगंज से कुरसैला जाने के लिये भारी वाहन एन0 एच0 57 का उपयोग नहीं करते हैं, टोल टैक्स बचाने के लिये सभी भारी वाहन एस0 एच0 77 से फारबिसगंज, रानीगंज, सरसी, नीरगंज होते हुये कुरसैला जाती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भारी वाहन के आवागमन से एस0 एच0 77 पर घनी आबादी का क्षेत्र होने से बराबर दुर्घटना होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक भारी वाहन का परिचालन एन0 एच0 57 से कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*156. श्री शाहनवाज--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना शहर से अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड तक एवं जोकीहाट प्रखंड से पटना शहर तक सरकारी बस का परिचालन नहीं होने के कारण उक्त प्रखंड के आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक पटना शहर से जोकीहाट प्रखंड तक एवं जोकीहाट प्रखंड से पटना शहर तक सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण कराना

*157. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड में स्थित भगवती मंदिर महाविद्यालय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएँ स्नातक तक की पढ़ाई करते हैं जबकि उक्त वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये छात्रावास उपलब्ध नहीं है जिसके कारण दूर-दूर से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त महाविद्यालय में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिये छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुनः मान्यता बहाल कराना

*158. श्री रामदेव यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाँका जिलान्तर्गत कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, बेलहर 35 वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड से स्थानान्तरित होकर बेलहर में स्थापित हुआ था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उक्त कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, बेलहर, बाँका की मान्यता रद्द कर दी गयी है, जिसके कारण हजारों बालिकाओं का पठन-पाठन बाधित हो गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनियमित रूप से मान्यता रद्द करने के मामले की जाँच कराते हुये उक्त कन्या प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, बेलहर, बाँका की पुनः मान्यता बहाल करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंकुरण योजना लागू कराना

*159. श्री सैयद अब्दु दौजाना--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य स्तर पर सरकार द्वारा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में वर्ष 2018 में अंकुरण योजना लागू किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अभी तक अंकुरण योजना लागू नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अंकुरण योजना लागू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण

*160. श्री प्रधनाथ प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत दरौली प्रखंड के बलहो कुर्मी टोला गाँव में प्राथमिक विद्यालय निर्माण हेतु 6 कट्टा जमीन का निबंधन दिनांक 11 अगस्त, 2009 को महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय के निर्माण हेतु दरौली प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सीवान तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा वर्ष 2010-11 में जमीन की मापी की गई, लेकिन आज तक उक्त विद्यालय निर्माण हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यालय भवन का निर्माण

*161. श्री आनंद शंकर सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला में जिला शिक्षा कार्यालय का अपना भवन नहीं है जबकि अनुग्रह इंटर कॉलेज द्वारा शिक्षा भवन के लिए भूमि भी उपलब्ध कराया जा चुका है, यदि हाँ, तो सरकार कब तक उक्त उपलब्ध भूमि पर जिला शिक्षा कार्यालय का भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सरकारी बस का परिचालन

*162. श्री राम विलाशा पासमान--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगौव प्रखण्ड में विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं बटेश्वर स्थान स्थित है जहाँ विश्व भर के पर्यटक आते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर से कहलगौव थाया विक्रमशिला बटेश्वर स्थान होते हुए पीरपैती तक बस का परिचालन नहीं होने से पर्यटकों एवं स्थानीय जनता को आवागमन में असुविधा होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक भागलपुर से कहलगौव थाया विक्रमशिला, बटेश्वर स्थान होते हुए पीरपैती तक सरकारी बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण कराना

*163. श्रीमती गूलजार देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड में बाबूदाय अन्नपूर्णा कन्या प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय, घोघरडीहा में भवन के अभाव में पठन-पाठन का कार्य बाधित है ;

(2) क्या यह बात सही है वर्ष 2006-07 में सम-विकास की राशि निर्माणाधीन भवन का कार्य अबतक अधूरा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्णित विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर पठन-पाठन सूचारु रूप से संचालित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय स्थापित करना

*164. श्रीमती लेशी सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत को0 नगर प्रखण्ड के बिठनौली पश्चिम पंचायत स्थित रोस्काकोसकागढ़ महादलित टोला तथा रहिका टोला में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चयन रद्द करना

*165. श्री राम विशुन सिंह--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत प्रखण्ड-बेन, पंचायत-खैरा के वार्ड सं0 11 के आँगनवाड़ी केन्द्र सं0 18 के मैपिंग पंजी के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की बहुलता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 24 जून, 2019 को प्रकाशित औपबोधित भेधा सूची में प्रथम स्थान की आवेदिका का चयन दिनांक 17 अगस्त, 2019 को आम सभा में सेविका पद के लिए किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो बाल विकास परिषोजना पदाधिकारी, बेन (नालंदा) द्वारा उक्त आम सभा में चयनित सेविका का चयन रद्द किए जाने का क्या औचित्य है ?

शिक्षकों की नियुक्ति करना

*166. श्री रामबालक सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1388, दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 एवं विज्ञापन सं0 210/2010 के आलोक में सहायक प्राथमिक शिक्षक के शेष 2,213 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी, किन्तु मात्र 1,960 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक शेष 253 रिक्त पदों पर अनुशंसा कर अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय भवन का निर्माण कराना

*167. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत जलालगढ़ प्रखंड के चक महियारपुर पंचायत के मध्य विद्यालय, महियारपुर को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हुये तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद भवन निर्माण नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सांस्कृतिक मंच का निर्माण

*168. श्री मनोहर प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत मनिहारी नगर स्थित बालदेव प्रसाद शुकरदेव प्रसाद उच्च विद्यालय, मनिहारी के मैदान में खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु मंच उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय में स्थित मैदान में सांस्कृतिक मंच का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

*169. श्री (डॉ०) सी० एन० गुप्ता--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 2 सितम्बर, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "बंद हो गये प्रदेश के तीन हजार ईट-भट्टे" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में जिग जैग तकनीक नहीं अपनाने वाले तीन हजार ईट-भट्टे चिमनी को सरकार द्वारा बंद कर देने से ईट-भट्टे संचालक एवं मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा तीन हजार ईट-भट्टे को बंद करने का क्या औचित्य है ?

विद्यालय भवन का निर्माण

*170. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय, घटराईन का भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में रहने के कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*171. श्री मोहम्मद नवाज आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा के तपेश्वर सिंह इन्दु महिला कॉलेज के सह-अध्यक्ष, जन-प्रतिनिधि हेतु अपिषद् की बैठक दिनांक 21 जून, 2017 के मद सं० 9 में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री कुँवर सिंह वि० वि०, आरा के ज्ञापांक C/1557/Estab/17, दिनांक 10 अगस्त, 2017 के द्वारा तदर्थ समिति का गठन कर अध्यक्ष मनोनित किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय के बाद भी जन-प्रतिनिधि-सह-अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य जन-प्रतिनिधि को तपेश्वर सिंह इन्दु महिला कॉलेज का जन-प्रतिनिधि-सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा इस संबंध में कुलसचिव, कुँवर सिंह वि० वि०, आरा के पत्रांक C/2413/Estab/19, दिनांक 30 अगस्त, 2019 द्वारा सूचित किया गया कि यह त्रुटि विश्वविद्यालय की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विषय की जाँच कराकर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :

दिनांक 26 नवम्बर, 2019 (ई०)।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,

सचिव,

बिहार विधान सभा ।